राजस्थान सरकार
सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग

सं.6/पी.एम.यू./आर.एफ.पी.एम./सी.ए.डी./02 जयपुर, दिनांक 09.06.2010

अधिसूचना

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 21) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता नियम, 2002 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **अध्याय 13 के शीर्षक का संशोधन .**– राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता नियम, 2002, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के अध्याय 13 के शीर्षक में विद्यमान अभिव्यक्ति ''और बजट'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''जल प्रभार/कर का संग्रहण और बजट'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **नये नियम का अन्तःस्थापन.**– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 54 के पश्चात् और विद्यमान नियम 55 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम 54क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

''54क. जल प्रभार/कर का संग्रहण.– (1) जल प्रभार/कर जल उपयोक्ता संगमों द्वारा संगृहीत किया जायेगा और राज्य खजाने में निक्षिप्त कराया जायेगा। संगृहीत जल /प्रभार कर में कृषकों के संगठन का अंश संगृहीत जल प्रभार/कर का 50 प्रतिशत होगा।

संगृहीत जल प्रभार/कर का ऐसा 50 प्रतिशत राज्य सरकार के आदेशानुसार जल उपयोक्ता संगम, वितरण समिति और परियोजना समिति में वितरित किया जायेगा।

(2) संगृहीत जल प्रभार/कर में कृषक संगठनों के अंश, समय–समय पर संबंधित कृषक संगठन द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर सम्बद्ध अधिशासी अभियन्ता द्वारा संदत्त किये जायेंगें।''।

राज्यपाल के आदेश से,
ह.
(डॉ0 पी.पी. बिड्यासर)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग

प.6 / पी.एम.यू. / आर.एफ.पी.एम. / सी.ए.डी. / 02 जयपुर, दिनांक 25.06.2010

आदेश

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) नियम–2010 (गजट में प्रकाशाधीन अधिसूचना दिनांक 09.06.10) के अन्तर्गत अन्तः स्थापित नियम–''54 क'' के अनुसार राजकीय खजाने में निक्षिप्त जल प्रभार / कर की राशि में से कृषकों के सगंठनों को प्राप्त होने वाले अंश 50 प्रतिशत का वितरण निम्नानुसार किया जायेगाः–

कृषको के संगठनों को देय 50 प्रतिशत अंश का वितरण :

1.	परियोजना समिति	05%
2.	वितरण समिति	10%
3.	जल उपयोगिता संगम	85%

संगृहीत जल प्रभार / कर में कृषक संगठनों के अंश, समय–समय पर संबंधित कृषक संगठनों द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर, सम्बद्ध अधिशासी अभियंता द्वारा संदत्त किये जायेंगें।

आज्ञा से,
ह.
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 जल संसाधन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सीएडी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीएडी, चम्बल कोटा।
8. क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीएडी, इंगानप, बीकानेर।
9. मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, जयपुर।
10. अधीक्षण अभियंता, सीएडी बीसलपुर वृत टोंक
11. गार्ड फाईल।

ह.
शासन उप सचिव

परिशिष्ट–ब

राजस्थान सरकार
सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग

सं.6 / पी.एम.यू. / आर.एफ.पी.एम. / सी.ए.डी. / 02 जयपुर, दिनांक 25.06.2010

आदेश

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) नियम–2010 (गजट में प्रकाशाधीन अधिसूचना दिनांक 09.06.10) के अन्तर्गत अन्तः स्थापित नियम–''54 क'' के अनुसार राजकीय खजाने में निक्षिप्त जल प्रभार / कर की राशि में से कृषकों के सगंठनों को प्राप्त होने वाले अंश 50 प्रतिशत का वितरण निम्नानुसार किया जायेगा :–

कृषको के संगठनों को देय 50 प्रतिशत अंश का वितरण :

1	परियोजना समिति	05%
2	वितरण समिति	10%
3	जल उपयोगिता संगम	85%

संगृहीत जल प्रभार / कर में कृषक संगठनों के अंश, समय–समय पर संबंधित कृषक संगठनों द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर, सम्बद्ध अधिशासी अभियंता द्वारा संदत्त किये जायेंगें।

आज्ञा से,
ह.
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 जल संसाधन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान, जयपुर
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थन, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, सीएडी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. निदेशक राजकीय मुद्राणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित करने का श्रम करे।
12. गार्ड फाईल।

ह.
शासन उप सचिव